समता की अवधारणा : सार्वभौमीकरण के परिप्रेक्ष्य में
(CONCEPT OF EQUITY : IN PERSPECTIVE OF UNIVERSALIZATION)

'समता' की अवधारणा को दो शब्दों—'समानता' तथा 'समता' में अन्तर करके समझा जा सकता है।

सामान्यतः समानता तथा विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में 'अवसरों की समानता' की अवधारणा का लम्बा इतिहास है, जबकि शिक्षा में 'समता' की अवधारणा अभी हाल की उपज है। **ब्रोन्फेनबेनर** (1973) ने 'समता' का अभिप्राय 'सामाजिक न्याय' अथवा औचित्य लिया है। समता व्यक्तिपरक तथा नैतिक निर्णय है, जबकि समानता का अभिप्राय आय या शिक्षा के वितरण के प्रतिरूप में है। यह (समानता) अधिक वस्तुपरक तथा विवरणात्मक है और इसको मापा जा सकता है, परन्तु असमानता की स्थिति में समता या औचित्य का मूल्यांकन केवल मूल्य निर्णय के प्रति आग्रह द्वारा ही किया जा सकता है।

शिक्षण में 'अवसरों की समानता' का विचार फ्रांसीसी क्रान्ति के साथ आया और संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिकी स्वतन्त्रता युद्ध के बाद इसने स्वरूप ग्रहण किया। 'शिक्षा में अवसरों की समानता' की अवधारणा का सूत्रपात 'समान पहुँच' की व्यवस्था से हुआ। बाद में समान निविष्ट को शैक्षिक अवसरों के समकरण के लिए आवश्यक कसौटी माना गया। इसके लिए आवश्यक है कि समाज के लाभवंचित वर्गों के हित में संरक्षात्मक विभेद के उपाय किये जायें। शिक्षा में समता समाज के लाभवंचित वर्गों के हित में संरक्षात्मक विभेद की नीति का अनुसरण करके प्राप्त की जा सकती है। इस अर्थ में शिक्षा में समानता का एक ही लक्ष्यार्थ है और विश्व के अधिकांश विकासोन्मुख देशों में इन्हें शिक्षा नीति के प्रमुख लक्ष्य मान लिया गया है।

भारत भी 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद एक ऐसी समतावादी सामाजिक व्यवस्था लाने के लिए वचनबद्ध हुआ जहाँ सामान्यतया 'समानता' तथा विशेषतया अवसरों की समानता को सरकारी नीति के महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना गया।

संविधान में समतावादी सामाजिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित प्रावधान किये गये—

1. सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया गया है।
2. विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14) प्रदान की गयी है।
3. सार्वजनिक नौकरियों के सम्बन्ध में अवसर की समानता (अनु. 16) प्रदान की गयी है।
4. अस्पृश्यता की समाप्ति (अनु. 17) की गयी है।
5. धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त (अनु. 15) किया गया है।
6. बाध्य मजदूरी तथा शोषण (अनु. 23) को समाप्त किया गया है।

उपर्युक्त बातें नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान की गयी हैं। इनकी अवहेलना होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। इस प्रकार मौलिक अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेध

Scanned with CamScanner

आज्ञाएँ हैं। परन्तु संविधान ने संविधान के चौथे भाग में अनु. 36 से लेकर अनु. 51 तक कुछ सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। ये वे सिद्धान्त हैं जिन पर भारत की भावी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक नीति निर्धारित होगी। संविधान के इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, फिर भी कानून निर्माण में इन सिद्धान्तों का प्रयोग राज्य का कर्त्तव्य होगा। इन सिद्धान्तों में प्रमुख इस प्रकार हैं जो समता की ओर बढ़ाने में सहायक हैं—

1. अनु. 43—"राज्य का कर्त्तव्य है कि वह श्रमिकों को कार्य, निर्वाह योग्य मजदूरी, जीवन स्तर की सामग्री, अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा।"

2. अनु. 42—"राज्य काम करने की न्यायपूर्ण दशाओं का प्रबन्ध करेगा। राज्य स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में सहायता प्रदान करेगा।"

3. अनु. 45—"राज्य संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करने का प्रयास करेगा।"

4. अनु. 46—"राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग, मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा तथा उनकी सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय तथा शोषण से रक्षा करेगा।"

5. अनु. 47—"राज्य अपने लोगों के आहार, जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राथमिक कार्य मानेगा।"

उपर्युक्त अनुच्छेदों को देखने से स्पष्ट होता है कि संविधान ने शिक्षा तथा कार्य के अधिकार को मान्यता प्रदान की है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही देश के सभी हिस्सों और जनसंख्या के सभी समूहों के विकास के लिए योजनाबद्ध प्रयास किये गये। पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष विनिधान तथा लाभवंचित विभिन्न समूहों के लिए प्रोत्साहन और सुविधाएँ, ये सभी अवसरों के उत्तम समरूप वितरण की लक्ष्य-प्राप्ति के अंग बन गये हैं।

शिक्षा में **समतावादी प्रवृत्ति** (Equalitarian Policy) समानता को अवसरों की समानता के रूप में लेती है शिक्षा में समानता से अभिप्राय है प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा उपलब्ध होना चाहे वह किसी धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा का हो उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, राज्य का कर्त्तव्य होगा। इस प्रकार का प्रावधान अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में सरकार द्वारा व विभिन्न आयोगों द्वारा भी किया गया है।

शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु सुझाव (SUGGESTIONS FOR EQUALISATION OF EDUCATIONAL OPPORTUNITIES)

(1) प्राथमिक शिक्षा सभी विद्यालयों में निःशुल्क दी जाए।

(2) माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं में पुस्तक बैंकों (Book Banks) का कार्यक्रम विकसित करना चाहिए।

(3) प्राथमिक स्तर पर पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त दी जानी चाहिए।

Scanned with CamScanner

(4) उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में सभी गरजमन्द तथा योग्य छात्रों को निःशुल्क शिक्षा तथा सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

(5) प्रतिभाशाली छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान दिये जायें।

(6) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियों को लागू किया जाना चाहिए।

(7) स्त्री शिक्षा हेतु विभिन्न अभियानों व कार्यक्रमों को चलाना चाहिए।

(8) इन कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने हेतु सुनियोजित कर्मचारियों की व्यवस्था करनी चाहिए।

(9) अनुसूचित जातियों की शिक्षा व मौजूदा कार्यक्रम जारी रखना चाहिए और उसका विकास भी किया जाना चाहिए।

(10) उच्चतर शिक्षा में छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए।

(11) अध्यापकों को आदिम जातीय भाषाओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए।

Scanned with CamScanner